राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 410/2013

बाबूलाल रैगर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, कारागार, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थी

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.06.2013
आदेश की दिनांक : 28.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 21.05.2013 (अनुलग्नक–6) को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को अर्द्धस्थायी की दिनांक से सेवाओं की गणना करते हुए प्रथम चयनित वेतनमान दिया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति बेलदार के पद पर वन विभाग में दिनांक 15.04.1983 को की गई थी। अपीलार्थी ने दिनांक 15.04.1983 से 31.12.1992 तक लगातार बेलदार के पद पर कार्य किया, परंतु वन विभाग द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 01.01.1993 को बिना किसी कारण के सेवा से मुक्त कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय श्रम न्यायालय भरतपुर में प्रकरण संख्या 104/1994 प्रस्तुत किया, जिस पर वन विभाग व अपीलार्थी के मध्य लोक अदालत की भावना से समझौते के आधार पर अवार्ड पारित कर निर्धारित किया गया कि अपीलार्थी को समझौते के अनुसार 15 दिवस के अंदर विपक्षी नियोजक पुनः सेवा में लेगा तथा अपीलार्थी की सेवा पृथक्करण दिनांक 01.01.1993 से पुनः काम में लेने तक की तिथि की सेवा निरंतर मानी जावेगी। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 09.11.1998 के द्वारा दिनांक 01.04.1995 से अर्द्धस्थायी घोषित किया गया। अपीलार्थी वर्कचार्ज के आधार पर

दिनांक 15.04.1983 से जुलाई, 2002 तक लगातार बेलदार के पद पर कार्य किया। परंतु राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में श्रीमान् संभागीय आयुक्त, जयपुर के आदेश दिनांक 01.07.2002 द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष घोषित करने के उपरांत महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर समायोजित किया गया, जिसकी पालना में वन विभाग द्वारा दिनांक 20.07.2002 को कार्यमुक्त किया गया तथा अपीलार्थी ने दिनांक 20.07.2002 को ही महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, जयपुर में उपस्थिति दी। प्रत्यर्थी विभाग ने राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसार अपीलार्थी की सेवाओं की गणना अर्द्धस्थायी की दिनांक 01.04.1995 से करते हुए प्रथम 9 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 01.04.2006 से दिया गया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य आदेश दिनांक 21.05.2013 प्रदर्श–6 के द्वारा अपीलार्थी के प्रथम 9 वर्षीय चयनित वेतनमान को संशोधन करते हुए पूर्व में पारित चयनित वेतनमान दिनांक 22.06.2006 को निरस्त कर अपीलार्थी को प्रथम 9 वर्षीय चयनित वेतनमान अर्द्धस्थायी की दिनांक से नहीं करते हुए प्रत्यर्थी विभाग में कार्यग्रहण की दिनांक 20.07.2002 से करते हुए दिनांक 25.07.2011 से स्वीकृत करने के आदेश जारी किए गए, जो बिना सुनवाई का अवसर दिए पारित किया गया। जबकि वर्कचार्ज सेवा नियमों के अनुसार अपीलार्थी अर्द्धस्थायी की दिनांक 01.04.1995 से सेवाओं की गणना करते हुए चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 01.04.1995 से अर्द्धस्थायी घोषित किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जगदीश नारायण चतुर्वेदी बनाम राजस्थान राज्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि चयनित वेतनमान स्वीकृति हेतु सेवा की गणना नियमित नियुक्ति तिथि से ही की जानी है और हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी की सेवा उसके अर्द्धस्थायी घोषित होने की तिथि से की गई थी, परंतु आलोच्य आदेश के द्वारा विधि विरूद्ध जाकर प्रत्यर्थी विभाग में कार्यग्रहण करने की दिनांक से सेवाओं की गणना करते हुए चयनित वेतनमान दिए जाने के आदेश पारित किए गए हैं, जो विधि विरूद्ध है एवं मनमाना, पक्षपातीपूर्ण है तथा वसूली के आदेश जारी किए हैं।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 21.05.2013 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को अर्द्धस्थायी की दिनांक से सेवाओं की गणना करते हुए प्रथम चयनित वेतनमान दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक रूप से यह बहस की है कि आलोच्य आदेश नियमानुसार जारी आदेश है तथा अपीलार्थी को विभाग में कार्यग्रहण की दिनांक से सेवाओं की गणना करते हुए आलोच्य आदेश जारी किया है तथा पूर्व में दिया गया चयनित वेतनमान नियमानुसार नहीं था, इसलिए विभाग को यह अधिकार है कि वह संशोधित आदेश जारी कर सकता है। इसलिए विभाग ने नियमानुसार आलोच्य आदेश जारी किया है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति वन विभाग में दिनांक 15.04.1983 को की गई थी तथा श्रम न्यायालय के निर्णयानुसार अपीलार्थी की सेवाएं निरंतर रही हैं तथा वन विभाग द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 01.04.1995 से अर्द्धस्थायी घोषित किया गया। जहां तक अपीलार्थी को उसकी प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमानों का लाभ नहीं दिए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में वर्कचार्ज नियमों के आधार पर अर्द्धस्थायी घोषित तिथि से अपीलार्थी चयनित वेतनमानों का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है क्योंकि आदेश दिनांक 01.01.1998 से वर्कचार्ज कर्मचारियों को चयनित वेतनमान दिया जाना एवं चयनित वेतनमान हेतु सेवा की गणना अर्द्धस्थायी होने की तिथि से देय होना उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 3620/2009 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम जगदीश नारायण चतुर्वेदी में पारित आदेश दिनांक 08.05.2009 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि किसी कर्मचारी को उसकी नियमित नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करके ही चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जा सकता है। इसी प्रकार हमारे मत में आदेश दिनांक 09.11.1998 के द्वारा दिनांक 01.04.1995 से अपीलार्थी को अर्द्धस्थायी घोषित किया गया। अपीलार्थी की अर्द्धस्थायी घोषित होने की तिथि से ही नियमित नियुक्ति मानी जावेगी और उस तिथि से ही सेवा की गणना करके अपीलार्थी चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त आदेश के क्रम में वित्त विभाग ने चयनित वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में दिनांक 29.08.2009 को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद में दिनांक 20.08.2010 के अनुसार चयनित वेतनमान नियमित नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करके ही स्वीकृत किया जा सकता है। जहां तक अपीलार्थी के संबंध में

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य वसूली आदेश जारी किए जाने का प्रश्न है, ऐसे मामलों में कार्मिकों को पूर्व में भुगतान की गई राशि की वसूली किए जाने के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195** के प्रकरण में कार्मिक को भुगतान की गई राशि के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं :–

"12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:

(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).

(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.

(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.

(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.

(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee. would be iniquitious or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."

यह कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195** वाले प्रकरण में यह अवधारित किया है कि इस प्रकार मामलों में वसूली नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी ने कभी भी कोई misrepresentation या धोखाधड़ी नहीं की है। इस कारण उसको जो भुगतान किया गया है, वह नियमानुसार किया गया है। उसकी वसूली किया जाना अवैधानिक है। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 21.05.2013 (अनुलग्नक–6) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त

फरमाया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी की अर्द्धस्थायी घोषित दिनांक 01.04.1995 से सेवाओं की गणना करते हुए अपीलार्थी को प्रथम 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ नियमानुसार दिया जावे तथा उक्त न्यायिक विनिश्चय के आधार पर अपीलार्थी के संबंध में जारी किए गए आदेश पर विचार किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य